

फर्द अहकाम

उपलब्ध अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़
 समेत बनाम ललिता वर्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नम्बर व तारीख
अहमकाम जो
जारी हुआ

01-02-2023 वकील कादीया उपस्थित। मह काया वकील
 कादी ने पेश किया। जर्न पेश कर दो प्रतिवादी गढ़
 जर्न सम्मत राजी 0 डाक से ललब दो पत्रावली दिनांक
 8/3/23 को वास्ते पत्रावली पेश हो

उपस्थंड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

8/3/23 आज यह पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० ने
 कार्य स्थगित किया। पत्रावली दिनांक 5/4/23
 को पेश हो।

उपस्थंड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

5/4/23 पत्रावली पेश। P.O. साहब
 N.C. में पेश है।
 पत्रावली दिनांक 17/5/23 को पेश हो।

17/5/23 P.O. साहब
 ग्राम कार्या में वास्तु है।
 पत्रावली दिनांक 23/6/23 को पेश हो

23/6/23 वकील वर्मा उपस्थित।
 साबिक आदेश दिनांक 1.12.22
 की पत्रावली में पत्रावली वास्ते डाक
 दिनांक 04/8/23 को पेश हो

उपस्थंड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)


4/8/23 पत्रावली पेश। P.O. साहब
 अपवासा पेश है।
 8/9/23 को पेश हो

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

समला.....बनाम..... श्रीमा पौरव

प्रकरण सं..... 1/102/2023.. तारीख रजू..... 1/2/23.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
07/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दीर्घावधि से। 1806 की तलवी में विचारणीय है। तलवी हेतु अनेक अपसर उत्पन्न किये गये हैं। तथा अनेक अपसर के रूप में भी अनेक अपसर दिये गये हैं। इससे इफ्तदार वादी के द्वारा परिवर्तन की तलवी हेतु पुन तलवना पेश नहीं किया है।</p> <p>सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 के अन्तर्गत में दावा खारीज किया जाता है। पत्रावली में शूमार होकर नम्बर से क्रम है। बाद तामिल तलवी पत्रावली दाखिल करार है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	